# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/निशु/पापु/शाला दर्पण/2018–19/07 दिनांक :– 23.07.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, प्रथम एवं द्वितीय।

**अति–आवश्यक**

विषय :– शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मॉडयूल एवं संबंधित अन्य बिन्दुओं पर दिनांक 20.07.2018 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 01 दिनांक 18.07.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की समय पर आपूर्ति एवं व्यवस्थित वितरण को ध्यान में रखते हुए शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मॉडयूल तैयार कर प्रारम्भ कर दिया गया है। दिनांक 20.07.2018 को आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त अग्रांकित निर्देश दिए गए :–

1. शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के ब्लॉक नोडल विद्यालय एवं उनकें अधीन आने वाले विद्यालयों की मैपिंग दिनांक 25.07.2018 तक आवश्यक रूप से कर ली जाए।
2. संस्था प्रधान को वाक्पीठ एवं मासिक ब्लॉक नोडल बैठक में इस मॉड्यूल की जानकारी दी जाए।
3. जिला स्तर पर, पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा ब्लॉक नोडल विद्यालय को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति एवं विद्यालयों में वितरण का प्रबोधन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) करेंगे तथा जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आप द्वारा प्रेषित मांग से कम प्राप्त हुई हैं **उनकी सूचना अग्रांकित प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक 25.07.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।**

| क्र. सं. | कक्षा | विषय | पुस्तक का नाम | निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्रेषित मांग | आज दिनांक तक प्राप्त निशुल्क पाठ्य पुस्तकें |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

4. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.07.2018 के क्रम में नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा 09 एवं 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें यदि जिला स्तर पर प्रबोधन के पश्चात भी उपलब्ध नहीं है, तो पाठ्य पुस्तकों की मांग दिनांक 25.07.2018 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. गत शैक्षिक सत्रों में विद्यार्थियों के अध्ययन पश्चात जमा की गई जीर्ण–शीर्ण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अप्रचलित पाठ्यक्रम की स्टॉक रजिस्टर के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निस्तारण सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.04.2018 के अनुसार बोली दाता से प्राप्त निविदा राशि को **निविदा मद 0075–00–800–50–01** जमा करवाते हुए प्राप्त राजस्व कों **राजस्व मद 0202–01–102–02–00 (पाठ्य पुस्तकों की प्राप्तिया) में** जमा करवाकर, इस कार्यालय को अग्रांकित प्रमाण पत्र दिनांक 07.09.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाए।

**:: प्रमाण पत्र ::**

**प्रमाणित किय जाता है कि जिले में अप्रचलित/अनुपयोगी/नाकारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का नियमानुसार शत–प्रतिशत निस्तारण जिला स्तर पर संपन्न करवा दिया गया है तथा प्राप्त राजस्व अखरे रूपये..........................................को दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित बजट मद में जमा करवा दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।**

**जिला शिक्षा अधिकारी**
**माध्यमिक शिक्षा..............**

**इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदत्त निर्देशों की पालना निर्धारित समय पर सुनिश्चित करवाएं।**

**(नथमल डिडेल)**
**आई.ए.एस.**
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप जयपुर ।
3. तकनिकी निदेशक, एनआईसी जयपुर ।
4. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रबोधन एवं प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत।
5. प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/बीकानेर।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय का पता . निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, दूरभाष – 0151–2544164 ईमेल –: ad.soedu.dse@rajasthan.gov.in, scialedu.gov@gmail.com